

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 08/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री संजीव कामरा पुत्र श्री अवतार कामरा जाति अरोड़ा निवासी 32 शंकर कॉलोनी, एस. एस.बी. रोड़, श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर। (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स :- न्यू कामरा मंगो बार, मीरा चौक, एसएसबी रोड़ के पास, श्रीगंगानगर।

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 11.05.2022

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये हैं।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.08.2021 को दोपहर पूर्व 11.00 पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री संजीव कामरा पुत्र श्री अवतार कामरा जाति अरोड़ा निवासी 32 शंकर कॉलोनी, एस.एस.बी. रोड़, श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर, मैसर्स न्यू कामरा मंगो बार, मीरा चौक, एसएसबी रोड़ के पास, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक श्री संजीव कामरा पुत्र श्री अवतार कामरा जाति अरोड़ा निवासी 32 शंकर कॉलोनी, एस.एस.बी. रोड़, श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ 14 नग बैकरी बिस्कुट (वनस्पति से निर्मित) खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। खाद्य पदार्थ नमूने वास्ते 04 डिब्बे लिये, जिसको हिला-मिलाकर एकरूप करके चार बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर परिरक्षक बॉर, फोरमलिन की 24-24 बूंदे प्रत्येक बोतल में डालकर ऐयरटाईट ढक्कन से बंद करके प्रत्येक को लेबल तैयार कर नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1184 दर्ज किया। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना तत्पश्चात 04 डिब्बे बैकरी बिस्कुट (वनस्पति से निर्मित) नमूने वास्ते लिया जिसके पेटे 280/-रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर



हरिमा
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करवा के फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति की रसीद ली जो सलंगन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खुरीद शुदा 04 डिब्बे बैकरी बिस्कुट (वनस्पति से निर्मित) नमूने लिये। प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1184 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1184 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1184 04 डिब्बे बैकरी बिस्कुट (वनस्पति से निर्मित) लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता संजीव कामरा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/288/ एक्ट/2021/279 दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **Sub-standard Food**, होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री संजीव कामरा पुत्र श्री अवतार कामरा जाति अरोड़ा निवासी 32 शंकर कॉलोनी, एस.एस.बी. रोड़, श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Bakery Biscuit Made in Vanaspati** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 32 शंकर कॉलोनी, एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स न्यू कामरा मँगोबार दुकान का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस पत्र क्रमांक 579/2022 दिनांक 05.04.2022 का दिया है कि आपकी दुकान में बैकरी बिस्कुट की जांच की गई तो बैकरी बिस्कुट **Sub-standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बैकरी बिस्कुट में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा, प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।



(Handwritten signature)
जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करवा के फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति की रसीद ली जो सलंगन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खुरीद शुदा 04 डिब्बे बैकरी बिस्कुट (वनस्पति से निर्मित) नमूने लिये। प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1184 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1184 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1184 04 डिब्बे बैकरी बिस्कुट (वनस्पति से निर्मित) लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता संजीव कामरा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/288/ एक्ट/2021/279 दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **Sub-standard Food**, होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री संजीव कामरा पुत्र श्री अवतार कामरा जाति अरोड़ा निवासी 32 शंकर कॉलोनी, एस.एस.बी. रोड़, श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Bakery Biscuit Made in Vanaspati** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 32 शंकर कॉलोनी, एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स न्यू कामरा मैंगोवार दुकान का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस पत्र क्रमांक 579/2022 दिनांक 05.04.2022 का दिया है कि आपकी दुकान में बैकरी बिस्कुट की जांच की गई तो बैकरी बिस्कुट **Sub- standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बैकरी बिस्कुट में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा, प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।



बेबी
जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Bakery Biscuit Made in Vanaspati** का सैम्पल के-1184 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/288/ एक्ट/2021 /279 दिनांक 31.08.2021 द्वारा **Sub- standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी मकान नम्बर 32 शंकर कॉलोनी, एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स न्यू कामरा मँगोबार दुकान का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस पत्र क्रमांक 579/2022 दिनांक 05.04.2022 का दिया है कि आपकी दुकान में बैकरी बिस्कुट की जांच की गई तो बैकरी बिस्कुट **Sub- standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बैकरी बिस्कुट में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा, प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Bakery Biscuit Made in Vanaspati**" No. K-1208 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not Conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Additive) Regulations, 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त संजीय कामरा पुत्र श्री अवतार कामरा, मैसर्स न्यू कामरा मँगोबार, मीरा चौक, एसएसबी रोड़ के पास, श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त प्रेम कुमार अरोड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 10,000-00 (अखरे रुपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में "**Bakery Biscuit Made in Vanaspati**" बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला अतिरिक्त (प्रशासक)
श्रीगंगानगर